

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 2497 / 12-1.

दिनांक, गोपेश्वर, 05/11/2019

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,
आर0ई0एस0, पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग।

विषय:-

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत थराली कुराड़ मोटर मार्ग के किमी0 15 से गुमड़ लगा गेरुड़ लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.825 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र सं0 08बी/ यू0सी0पी0/06/64/2019/एफ0सी0/2105 दिनांक 17.12.2019

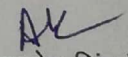
महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयार्थित मोटर मार्ग हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रदान की गयी है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में दिये गये शर्तों के सापेक्ष धनराशि की मांग पत्र निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

- 1- शर्त सं0 01 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दुगने अनवत आरक्षित वन भूमि पर अर्थात् 3.650 है0 कम्पार्टमेन्ट न0 7 बधाणगढ़ी पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रू0 306531.00 की दर से कुल 11,18,838.00 (रू0 ग्यारह लाख अठ्ठास हजार आठ सौ अड़तीस) मात्र की धनराशि Ad-hoc कैम्पा कोष में online चालान के माध्यम से जमा की जायेगी।
2. शर्त सं0 2 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 15,42,125.00 (रू0 पन्द्रह लाख बयालीस हजार एक पच्चीस) मात्र online challan के माध्यम से जमा की जायेगी।
- 3- शर्त सं0 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की दर में जो बढ़ोत्तरी होती है उसे जमा करने की बचनवद्धता प्रेषित की जायेगी।
- 4- शर्त सं0-4 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त सं0 01 एवं शर्त सं0 03 में दी गई धनराशि का भुगतान Online Portal के माध्यम से जमा की जायेगी।

अतः उपरोक्त उल्लिखित धनराशि को ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा करते हुए पूर्ण अनुपालन आख्या की चार-चार मूल प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि उक्त प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,


(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:-

/ दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।